



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आई0आर0डी0टी0), अपर आमवाला देहरादून
संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक्स (जीप)–2024 काउंसिलिंग सूचना
काउंसिलिंग वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in>



शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेक्निकों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूढ़ी से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक- 2024 (जीप- 2024) में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग में निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

निःशुल्क काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्रं सं०	काउंसिलिंग के चरण	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने की तिथि	संस्थान/ब्रांच आवंटन की तिथि	आवंटित संस्थान में रिपोर्ट, अभिलेखों की जाँच एवं प्रवेश की तिथि	अभ्युक्ति
1	प्रथम	दिनांक 25 जून, 2024 से दिनांक 28 जून, 2024	01 जुलाई, 2024	दिनांक 02 जुलाई, 2024 से दिनांक 05 जुलाई, 2024 तक।	जीप- 2024 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं।
2	द्वितीय	दिनांक 10 जुलाई, 2024 से दिनांक 12 जुलाई, 2024	16 जुलाई, 2024	दिनांक 17 जुलाई, 2024 से दिनांक 20 जुलाई, 2024 तक।	प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने (upgradation) वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

आवश्यक निर्देश—

- ऑनलाइन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी काउंसिलिंग की वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
- जीप- 2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अहंता परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तरीण नहीं हैं, काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसिलिंग की वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> में Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करें। रजिस्ट्रेशन के लिये अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होनी अनिवार्य होगी।
- अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाने समय अपना सम्पूर्ण विवरण (आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखण्ड डोमेनाईल इत्यादि) ध्यानपूर्वक चेक कर लें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में आवंटित राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पौलीटेक्निक संस्थानों में आवश्यक अभिलेख (Allotment Letter के अनुसार) एवं शिक्षण शुल्क रु० 8000/- के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं एवं द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख सत्यापन/प्रवेश की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सीट स्वतः ही नये संस्थान में अपग्रेड हो जायेगी। अतः प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी उसी दशा में द्वितीय काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करें यदि उन्हें सीट अपग्रेड करनी हो। सीट अपग्रेड होनी की स्थिति में पुरानी सीट से उसका प्रवेश रद्द हो जायेगा और अभ्यर्थी का पुरानी सीट पर कोई दावा मात्र नहीं होगा।
- संश्चान, ब्रांच आवंटन की लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाईट पर अपना Allotment Letter प्रिंट कर सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं० पर SMS के माध्यम से भी दी जायेगी।
- अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अतिरिक्त समस्त आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र (जीप- 2024 की विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार) समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साईंड फोटो के साथ उपस्थित होंगे।
- किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड स्थाई निवास का प्रमाण पत्र न हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अहंता उत्तराखण्ड से उत्तरीण हों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करायें।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा और अगले चरण की काउंसिलिंग में उक्त सीट को रिवित के रूप में प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव में कहीं से भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- शासनादेश संख्या 348/XXIV(8)/10-26-10 दिनांक 19/01/2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं० 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में Tuition Fee Waiver Scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की स्थीरता क्रमांक अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी के लिये आवश्यक होती हैं। जिनके अभिभावकों की किसी भी स्त्रोत से वार्षिक आय रु० 4.50 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण एवं उक्त शासनादेश वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> से जानलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी TFW उपश्रेणी में रजिस्ट्रेशन करें उन्हें विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु Normal एवं TFW दोनों प्रकार के विकल्पों को वरीयताक्रम में भरना अनिवार्य होगा।
- छात्र ऑनलाइन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय-समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर सम्पर्क करते रहें तथा काउंसिलिंग से एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रिंटेप्रेस के काल सेन्टर नं० 7456962568 एवं 7579090518 पर काउंसिलिंग/प्रवेश तिथियों में प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा जारी काउंसिलिंग सम्बन्धी ईमेल jeep.ubte@gmail.com पर सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान/ब्रांच के विकल्प (Choice) भर सकते हैं एवं भरे विकल्पों का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी के दबाव में विकल्पों को न भरें, विकल्पों की विषय में समस्त जानकारी प्राप्त होने पर ही विकल्प भरें। साथ ही Login-ID/Password को किसी के साथ साझा (Share) न करें। यदि आपके द्वारा Login-ID/Password को किसी के साथ साझा करने पर अभ्यर्थी के विकल्पों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट <https://ubter.admissions.nic.in> पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पूर्व उपलब्ध होगी।
- ग्रुप-A (Lateral Entry) के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व ग्रुप-A की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त आई0टी0आई0 उत्तरीण ईंकधारी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी जिस ब्रांच में प्रवेश के इच्छुक हैं वे उससे सम्बन्धित आई0टी0आई0 ट्रेड में उत्तरीण हैं अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी काउंसिलिंग में विकल्प भरने से पूर्व जीप- 2024 विवरण पुस्तिका का अवलोकन अवश्य करें एवं अभ्यर्थी विषय ब्रांच में आवंटन होने के उपरान्त प्रवेश न मिलने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
- शासनादेश सं० 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय EWS (Economic Weaker Section) श्रेणी का चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- राजकीय पौलीटेक्निक विकासनगर, देहरादून में फार्मेसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 01 सीट लदाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किया गया है।

संयुक्त सचिव